

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 793/2012

संस्थापित दिनांक 08/10/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मौ जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. लाखन सिंह पुत्र मुल्लू सिंह राठौर
उम्र 50 वर्ष निवासी स्योडा अनूपगंज
वार्ड नं. 7 स्योडा जिला दतिया म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 279, 304ए भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता— अशोक जादौन।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 04/03/17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 03/09/12 को 12:15 बजे सेवड़ा रोड पर पत्थर की टाल के पास मौ में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन आईसर ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत अहिवरन सिंह में टककर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03/09/12 को समय करीबन दिन के 12:15 बजे फरियादी राजेश अहिवरन के साथ सेवड़ा से शीतला बस में बैठकर सलमपुरा आ रहा था। अहिवरन बस में हेल्परी का काम कर रहा था। शंकरपुरा के सामने अहिवरन बस से सवारी उतार रहा था तभी सेवड़ा तरफ से एक आईसर 485 ट्रेक्टर सफेद रंग का मय ट्रौली को उसका चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और बस के बगल से घसीटता हुआ लाया एवं अहिवरन के टककर मार दी थी जिससे अहिवरन के सिर एवं छाती में चोटें आयी थीं उसके सिर नाक, कान से खून निकलने लगा था। मौके पर विजय यादव तथा भूरे सिंह ने घटना देखी थी फिर वह अहिवरन को लेकर थाना रिपोर्ट करने गये थे। ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को घटना स्थल पर छोड़कर

भाग गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अपराध क्र. 185/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 03/09/12 को 12:15 बजे मौ सेवड़ा रोड पर पत्थर की टाल के पास मौ में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन आईसर ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आईसर ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 को उपेक्षा पूर्ण तरीके से चलाते हुए अहिवरन सिंह में टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी राजेश यादव अ.सा. 1, विजय यादव अ.सा. 2, भूरेसिंह अ.सा.3, कोमल अ.सा. 4, अजानसिंह अ.सा. 5, कमलेश अ.सा. 6, सुखवीर अ.सा. 7, प्रहलाद अ.सा. 8, संजू यादव अ.सा.9, डॉ. आर.विमलेश अ.सा. 10 एवं भूपेन्द्र अ.सा. 11 को परीक्षित किया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी राजेश यादव अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी लाखन सिंह को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायलयीन कथन से लगभग तीन साल पहले की दिन के बारह बजे की है वह सेवड़ा से सलमपुरा शीतला बस से जा रहा था जैसे ही वह शंकरपुरा की पुलिया के पास पहुंचा था तो बांयी तरफ एक ट्रेक्टर खड़ा था, उसके चाचा बस के गेट से लटके थे। उस खड़े ट्रेक्टर में बस का गेट टकरा गया था जिससे अहिवरन नीचे गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गयी थी ट्रेक्टर का नंबर क्या था वह नहीं बता सकता है, ट्रेक्टर का ड्राइवर कौन था वह यह भी नहीं बता सकता है। उसने घटना की रिपोर्ट

थाना मौ में की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अहिवरन को ग्वालियर ले गये थे बीहड़ पहुंचकर उसकी मृत्यु हो गयी थी। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। लेकिन उसके सामने ट्रेक्टर जप्त किया गया था या नहीं उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आइसर ट्रेक्टर 485 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर शीतला बस में टककर मार दी थी जिससे अहिवरन की मृत्यु हो गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना कारित करने वाला ट्रेक्टर किस कम्पनी का था उसे जानकारी नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने ट्रेक्टर जप्त नहीं किया था।

9. साक्षी विजय यादव अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी लाखन सिंह को नहीं जानता है उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी भूरे सिंह अ.सा. 3 एवं कोमल अ.सा. 4 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी लाखनसिंह को नहीं जानते हैं उनके न्यायालयीन कथन से दो चार साल पहले संकटमोचन हनुमान मंदिर के पास उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था उस समय वह घर पर थे उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुना था इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं। उक्त सभी साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

10. अजान सिंह अ.सा. 5 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह मौके पर नहीं था। उसे ऐसा बताया गया था कि बस व ट्रेक्टर में एक्सीडेंट हो गया था। अहिवरन सिंह का एक्सीडेंट हुआ था। सफीना फार्म प्रदर्श पी 8 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 9 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे लोगों ने बताया था कि अहिवरन बस से सवारियां उतार रहा था तभी सेवदा की तरफ से आइसर ट्रेक्टर मय द्रोली को उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था एवं अहिवरन में टककर मार दी थी जिससे अहिवरन की मृत्यु हो गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वह जगह उसने नहीं देखी थी एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ था उसे यह भी जानकारी नहीं है।

11. साक्षी कमलेश अ.सा. 6, सुखवीर अ.सा. 7, प्रहलाद अ.सा. 8 एवं संजू अ.सा. 9 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी कमलेश अ.सा. 6 ने प्रदर्श पी 8 एवं प्रदर्श पी 9 के बी से बी भाग पर, साक्षी सुखवीर अ.सा. 7 ने प्रदर्श पी 8 एवं 9 के क्रमशः सी से सी भाग पर एवं साक्षी प्रहलाद अ.सा. 8 ने सफीना फार्म प्रदर्श पी 8 एवं नक्शा पंचायत नामा प्रदर्श पी 9 के क्रमशः डी से डी भाग पर एवं संजू यादव अ.सा. 9 ने सफीना फार्म प्रदर्श पी 8 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 9 के क्रमशः इ से इ भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

12. साक्षी भूपेन्द्र अ.सा. 11 जिसे आरोपित ट्रेक्टर का स्वामी होना बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 उसके पिता जयहिंद के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके ट्रेक्टर से कोई दुर्घटना नहीं हुयी थी। पुलिस ने उसका कोई

प्रमाणीकरण नहीं दिया था। प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 11 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने उसके सामने ट्रेक्टर के कोई कागजात जप्त नहीं किये थे। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 12 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने लाखन को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 13 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी की जमानत नहीं दी थी। जमानतनामा प्रदर्श पी 14 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी लाखन को नहीं जानता है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 को आरोपी लाखन ने तेजी व लापरवाही से चलाकर अहिवरन के टककर मार दी थी जिससे अहिवरन की मृत्यु हो गयी थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त संबंध में उसके द्वारा प्रदर्श पी 11 का प्रमाणीकरण दिया गया था।

13. डॉ. आर.विमलेश अ.सा. 10 द्वारा मृतक अहिवरन सिंह की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 को प्रमाणित किया गया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजेश यादव अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि वह आरोपी लाखनसिंह को नहीं जानता है उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पहले वह शीतला बस से सलमपुरा जा रहा था। उसके चाचा बस के गेट से लटके हुए थे। बस का गेट खड़े ट्रेक्टर से टकरा गया था जिसके कारण अहिवरन नीचे गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गयी थी। ट्रेक्टर का नंबर क्या था उसे कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आइसर ट्रेक्टर 485 के चालक ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर शीतला बस में टककर मार दी थी जिससे अहिवरन की मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकार फरियादी राजेश यादव अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि अहिवरन बस के गेट पर लटका था और बस खड़े ट्रेक्टर से टकरा गयी थी जबकि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेक्टर ट्राली को उसका चालक लापरवाही से चलाता हुआ लाया था और बस के बगल से घसीटता हुआ ले गया था इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राजेश यादव अ.सा. 1 के कथन प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजेश यादव अ.सा. 1 ने अपने कथन में अहिवरन की एक्सीडेंट में मृत्यु होना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाला ट्रेक्टर का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. शेष साक्षी विजय यादव अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. साक्षी भूरेसिंह अ.सा. 3 एवं कोमल अ.सा. 4 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि

वह आरोपी लाखन सिंह को नहीं जानते हैं उन्हें घर पर एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली थी इसके अलावा उन्हें अन्य कोई जानकारी नहीं है उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपित ट्रेक्टर को आरोपी लाखन सिंह चला रहा था। इस प्रकार उक्त साक्षीगण द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18. साक्षी अजान सिंह अ.सा. 5 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह मौके पर नहीं था उसे लोगों ने बताया था कि अहिवरन बस से सवारियां उतार रहा था तो एक आइसर ट्रेक्टर के चालक ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर अहिवरन को टककर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वह जगह उसने नहीं देखी थी। इस प्रकार साक्षी अजान सिंह अ.सा. 5 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी के द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

19. साक्षी कमलेश अ.सा. 6, सुखवीर अ.सा. 7, प्रहलाद अ.सा. 8 एवं संजू यादव अ.सा. 9 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

20. साक्षी भूपेन्द्र सिंह अ.सा. 11 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है उसके ट्रेक्टर से कोई दुर्घटना नहीं हुयी थी उसने पुलिस को प्रदर्श पी 11 का प्रमाणीकरण नहीं दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी लाखन को नहीं जानता है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी लाखन ने घटना दिनांक को आरोपित ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए अहिवरन के टककर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने उक्त संबंध में प्रदर्श पी 11 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था। इस प्रकार भूपेन्द्र अ.सा. 11 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं प्रदर्श पी 11 का प्रमाणीकरण पुलिस को देने से इंकार किया गया है उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी लाखन को नहीं जानता है। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

21. डॉ. आर.विमलेश अ.सा. 10 द्वारा मृतक अहिवरन की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 को प्रमाणित किया गया है उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

22. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी राजेश यादव अ.सा. 1, विजय यादव अ.सा. 2, भूरे सिंह अ.सा. 3, कोमल अ.सा. 4, अजान सिंह अ.सा. 5, कमलेश अ.सा. 6, सुखवीर अ.सा. 7, प्रहलाद अ.सा. 8, संजू यादव अ.सा. 9 एवं भूपेन्द्र अ.सा. 11 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं

दिया गया है। डॉ. आर.विमलेश अ.सा. 10 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 को आरोपी लाखन सिंह चला रहा था एवं आरोपी लाखन सिंह ने उक्त ट्रेक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक अहिवरन में टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

23. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे एवं यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है आरोपी ने दिनांक 03.09.12 को 12:15 बजे मौ. सेवड़ा रोड पर पत्थर की टाल के पास मौ. में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन आइसर ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए मृतक अहिवरन सिंह में टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी लाखन सिंह को भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 304ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

25. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

26. प्रकरण में जप्तशुदा आइसर ट्रेक्टर क्र. एमपी32 एए 1882 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 04/03/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/—

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)